न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 52 / 2018 **दायरा दिनांक : 04.04.2018**

उनवान

ग्यारसीराम आत्मज पूरीलाल, जाति चमार, निवासी लखारिया सही पता आरोलिया, तहसील पचपहाड़ हाल निवासी ग्राम हनोतिया, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा

.... अपीलांट

बनाम

1— रामनारायण आत्मज बरधा, जाति चमार, निवासी आरोलिया, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड

2— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पचपहाड़, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 28.08.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या — 138 / दावा / 2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रामनारायण ने प्रतिवादी ग्यारसीराम के विरूद्ध एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए, 209, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया तथा कथन किया कि ग्राम आरोलिया, तहसील पचपहाड़ की आराजी खसरा नम्बर 191 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा वादी के खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि है । वादी के पिता बिरधा आत्मज धन्ना चमार वादी के कब्जे काश्त की भूमि है जिसकी एक नकल जमाबंदी सम्वत 2031—34 सलंग्न है । वादी के पिता बिरधा वल्द धन्ना का दिनांक 09.07.1986 को मृत्यु हो गयी है तथा वादी के पिता बिरधा ने आराजी

को मोहम्मद शोकत वल्द नियाज मोहम्मद मुसलमान, निवासी सुकेत के यहां 5 वर्ष के लिए गिरवी रखी थी परन्तु शोकत भाई ने धोखाधड़ी करके दिनांक 27.05.1986 को एक रजिस्टर्ड बयनामा रूपये 4500/– ग्यारसीराम आत्मज पूरा लाल चमार, निवासी लखारिया के हक में तस्दीक करवा लिया और मोहम्मद शोकत आत्मज नियाज मोहम्मद सर्वण जाति के थे इसलिए वह बयनामा ग्यारसीराम चमार के हक में किया । इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा बिना प्रतिफल दिये बयनामा तस्दीक करवाया गया है, जो अवैधानिक है, जिसे निरस्त किया जावे । अवैधानिक बेचान के आधार पर तस्दीक किया गया बयनामा खारिज किया गया । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा लोक अदालत में उपरोक्त वाद पर दिनांक 29.06.2017 को एक पक्षीय निर्णय पारित किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नकल नामान्तरकरण प्रदर्श 4 पर पटवारी हल्का अरोलिया एवं भू अभिलेख निरीक्षक गणेशपुरा द्वारा अपनी रिपोर्ट के अनुसार वादग्रस्त आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 बी का उल्लंघन माना तथा अपने निर्णय में यह उल्लेख किया कि प्रतिवादी द्वारा धारा 42 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से बेचान के लिए मोहम्मद शोकत आत्मज नियाज मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी सुकेत के नाम करवायी गयी है, जो स्पष्टतया धारा 42 बी का उल्लंघन है जिसका उल्लेख दिनांक 10.12.1986 में नामान्तरकरण प्रदर्श 4 पर भी है । अतः धारा 175–177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही करने के लिए तहसीलदार को निर्देशित किया गया एवं वादी का वाद खारिज किया गया, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 27.03.2018 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो धारा 42 बी का उल्लंघन मानकर तहसीलदार, पचपहाड़ ने धारा 175–177 के तहत कार्यवाही करने हेतु आदेश पारित किये गये, वह त्रुटिपूर्ण है । चूंकि उपरोक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 191 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा ग्राम आरोलिया, तहसील पचपहाड़ की रेस्पोडेंट क्रम 1 ने दिनांक 27.5.1986 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र उचित प्रतिफल

राशि अदा कर क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था, जिस पर रेस्पोडेंट क्रम 1 के पिता बिरधा उर्फ बिरधी लाल एवं गवाहों के भी हस्ताक्षर है । विक्रय पत्र उपपंजीयक पचपहाड़ के यहां तस्दीक किया गया एवं विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक किया गया । वादग्रस्त आराजी का अपीलांट रेकार्डेड खातेदार एवं काबिज काश्तकार है । अधीनस्थ न्यायालय में दावे के अन्दर रेस्पोडेंट क्रम 1 के द्वारा कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं किये हैं तथा अपीलांट का गलत पता अंकित करवाकर एवं अखबार में साया करवा कर एक पक्षीय आदेश पारित करवा लिया है, जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जाकर अपीलांट को सुनवायी का अवसर प्रदान करने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया जावे । अपने पक्ष के समर्थन में 2017 (2) R.R.T. पेज 918, 2016–17 (2) R.R.T. पेज 459 उद्धरत की ।

अपीलांट ने वाद में बहस करते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट ने डिक्लरेशन का दावा अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था जिसमें अपीलांट दिनांक 01.10.2012 को अधीनस्थ न्यायालय में हाजिर होने का सम्मन जारी हुआ जिस पर ग्यारसीराम पुत्र पूरी लाल चमार, ग्राम लखारिया का पता गलत लिखा है, यह रिपोर्ट प्राप्त हुई तथा सम्मन अदम तामील प्राप्त हुआ । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः उपरोक्त पते पर ही दिनांक 04.02.2013 को अखबार में सम्मन साया किया गया तथा दिनांक 20.04.2015 को गलत पते के आधार पर एक पक्षीय निर्णय पारित किया गया, जो गलत एवं त्रुटिपूर्ण है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.12.1986 की आई एल आर की रिपोर्ट, नामान्तरकरण प्रदर्श 4 में दर्ज है । जिसके आधार पर अपीलांट के खिलाफ आदेश पारित किया गया एवं तहसीलदार को धारा 175 की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है । अपीलांट को अपना पक्ष रखने का अवसर अधीनस्थ न्यायालय में प्राप्त नहीं हुआ है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरूद्ध है । अपीलांट द्वारा उपरोक्त विवादित आराजी जरिये रजिस्टर्ड क्रय की गई है तथा अपीलांट को दस्तावेजी साक्ष्य इत्यादि प्रस्तुत करने का अवसर अधीनस्थ न्यायालय में प्राप्त नहीं हुआ है तथा अपीलांट अपने कब्जे के सम्बन्ध में भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके हैं । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह एक पक्षीय है । अपीलांट को तामील होना नहीं पाया गया है तथा वर्तमान मौका रिपोर्ट भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । पत्रावली पर एक्जीविट पी 2 खसरा गिरदावरी सम्वत 2066

में अपीलांट का नाम दर्ज है तथा पत्रावली जमाबंदी सम्वत 2064–67 प्रदर्श 1 में अपीलांट खातेदार दर्ज है । पत्रावली पर उपलब्ध रजिस्टर्ड दस्तावेज ग्यारसीराम के पक्ष में पेश किया गया एवं मौके एवं कब्जे की वर्तमान रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । अतः स्पष्ट है कि खातेदार के विरूद्ध एक पक्षीय निर्णय पारित किया गया है, जो प्राकृतिक सिद्धांतों के विरूद्ध है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है । नामान्तरकरण सं. प्रदर्श 4 वर्ष 27.05.1986 में आई एल आर व तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर नामान्तरकरण बेचान को अवैधानिक मानते हुए पेण्डिग रखा था तथा वर्ष 31.03.1998 को नामान्तरकरण अपीलांट के पक्ष में इन्तकाल नम्बर 453 से तस्दीक कर दिया गया । यदि उपरोक्त नामान्तरकरण अवैधानिक दस्तावेज के आधार पर दर्ज किया गया है तो उपरोक्त नामान्तरकरण किन परिस्थितियों में स्वीकृत हुआ, उसके लिए कौन राजकीय अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार है, उसकी जांच की जाना भी आवश्यक है तथा वर्ष 1986 से 1998 तक नामान्तरकरण पर दिए आदेश की पालना क्यों नहीं की गई । इसी प्रकार यदि अपीलांट का मौके पर काश्त व कब्जा नहीं है तो गिरदावरी सम्वत 2066 में अपीलांट का नाम किस आधार पर दर्ज किया गया है यह भी जांच का विषय है ।

अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों व दस्तावेजों का पूर्ण परीक्षण नहीं किया गया है तथा अपीलांट को सुनवायी का अवसर प्रदान नहीं किया गया है एवं निर्णय एकपक्षीय पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.2017 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि दस्तावेजों की गहन जांच करें । यदि कोई दोषी है तो दोषी कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही राजस्थान सेवा नियम के अन्तर्गत करें, अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान कर साक्ष्य, सबूतों एवं गुणावगुण के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय पुनः तीन माह में निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 08.10.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा